संख्या : 2028/इक्कीस–89–3 (17)/88

प्रेषक,

[illegible] जगदीश चन्द्र पन्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष,
निगमों तथा परिषदों के अध्यक्ष,
मण्डलों के आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट,
जिला न्यायाधीश तथा अन्य प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष ।

लखनऊ: दिनांक 13 जुलाई, 1989 ।

विषय:––कम्प्यूटरों में हिन्दी का प्रयोग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कामकाज को आधुनिक तथा अधिक गतिशील बनाने की दृष्टि से अब कम्प्यूटरों के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है, किन्तु यह देखने में आ रहा है कि कम्प्यूटरों में देवनागरी लिपि के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद रोमन लिपि का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कार्यालयों, निगमों आदि में अंग्रेजी के प्रयोग में वृद्धि हो रही है जो शासकीय नीति एवं आदेशों के अनुकूल नहीं है ।

2––आपको विदित है कि उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार समस्त शासकीय कार्यों में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि कम्प्यूटरों आदि में भी देवनागरी लिपि एवं हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाय । भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों तथा अधीनस्थ व सम्बद्ध कार्यालयों को यह अनुदेश जारी किये हैं कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के प्रयोग के लिये सभी तरह की कम्प्यूटर प्रणालियां (जिनमें कम्प्यूटर, वर्ड प्रोसेसर, डाटा एन्ट्री उपकरण आदि शामिल हैं) साधारणतया डाट मैट्रिक्स प्रिन्टरों सहित केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) रूप में खरीदे जांय, साथ ही जिन कार्यालयों में व्यक्तिगत कम्प्यूटर (पी0 सी0) क्रय किये जा चुके हैं और जो आई0बी0एम0 के अनुरूप (काम्पेटिबल) और एम0 एस0 डोस आपरेटिंग सिस्टम पर आधारित हैं तथा जो इस समय केवल रोमन लिपि में काम करते हैं उनके कुंजीपटल को 6 मास के अन्दर द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) रूप में परिवर्तित करा दिया जाय ।

3––उपर्युक्त व्यवस्था के अनुरूप तथा उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों, निगमों, परिषदों आदि द्वारा भविष्य में उपर्युक्त प्रकार की जो भी कम्प्यूटर प्रणालियां क्रय अथवा प्राप्त की जांय उनमें देवनागरी लिपि की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो । साथ ही जिन कार्यालयों में ऐसी कम्प्यूटर प्रणालियां पहले से ही क्रय अथवा प्राप्त की जा चुकी हैं, उनमें इन आदेशों के जारी होने के 6 माह की अवधि के अन्दर देवनागरी लिपि के प्रयोग की सुविधा अवश्य उपलब्ध करा ली जाय ।

4––यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपवाद स्वरूप ऐसी कम्प्यूटर प्रणाली क्रय करने अथवा प्राप्त करने की आवश्यकता हो जिसमें केवल रोमन लिपि का ही प्रयोग होता हो तो ऐसा प्रस्ताव करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन के भाषा विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । यही व्यवस्था किराये पर लिये जाने वाली तथा निःशुल्क प्राप्त होने वाली कम्प्यूटर प्रणालियों के संबंध में भी लागू समझी जाय ।

भवदीय,
जगदीश चन्द्र पंत,
प्रमुख सचिव ।

संख्या : 2028 (1)/इक्कीस–89–3 (17)/–88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के समस्त निजी सचिव ।
(3) सचिवालय के समस्त अधिकारी ।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
जे0 डी0 पुरी,
संयुक्त सचिव ।

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 13 सा0 भाषा–10–8–89–(2021)–1989–5,000 (मैक0) ।